प्रेषक,

कमलेश कुमार
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 जनवरी, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी तौफीक अहमद पुत्र श्री मैकू, निवासी जनपद-हरदोई की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-38027/प्रो0अनु0(2)-280/2024 (बैठक दिनांक 10.12.2024), दिनांक 12.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी तौफीक अहमद पुत्र श्री मैकू, ग्राम-देवमनपुर, थाना-मल्लांवा, जनपद-हरदोई का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 14.09.2009 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-250/2010 भा**0**द**0**वि**0** की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 20.05.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बदी की अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 05.12.2024 तक अपरिहार 15 वर्ष, 01 माह, 05 दिन तथा 17 वर्ष, 10 माह, 02 दिन की सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 05.12.2024 तक 41 वर्ष, 29 दिन है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) को प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल० जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 5 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि बंदी की समयपूर्व रिहाई की दशा में मृतक के सम्बन्धियों द्वारा कशीदगी व्याप्त होगी, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना है। वादी पक्ष द्वारा द्वेष भावना में कोई घटना कारित की जा सकती है एवं बंदी द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। तदनुसार बदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण अभियुक्त ने दिनांक 14.09.2009 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर हत्या कर दी। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अपीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा तम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडने दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द**0**प्र**0**सं**0** के अर्न्तगत सिद्धदोष बन्दी तौफीक अहमद पुत्र मैजू को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल-रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी तौफीक अहमद (बन्दी सं0-28310) श्री मैकू, निवासी जनपद-हरदोई की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 82/2026/2231(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।